सँ0 / /XXIV(1)/201 -22/2012

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव ,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनांक: 30 जनवरी, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–14 में ई–पोर्टल (एजूकेशन पोर्टल) हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सँ0 एजु0पो0/14484/ 2013–14 दिनॉक 16.8.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान–11 के आयोजनागत पक्ष में एजूकेशन पोर्टल के संचालन हेतु कुल रू0 34,39,000–00 (रूपये चौतीस लाख उनतालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि ई–पोर्टल के डाटा Feeding, Updating, Monitoring व डाटा का Validation आदि के जिसे जनशक्ति तथा उपकरणों की आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सँ0 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.3.2013 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार की स्वीकृति तथा योजना व उसके अन्तर्गत अनुमन्य मदों के सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार की व्यय किया जायेगा और किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। साथ ही वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं अन्य वित्तीय नियमों के सुसंगत प्राविधानों की अनुपालना कडाई से की जाए और इनके अन्तर्गत यथास्थिति जैसी आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ही व्यय किया जायेगा।

(6) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(7) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(8) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये निर्देशों/शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(10) विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि को तभी खर्च किया जायेगा जबकि सम्बन्धित तीनों पक्षों के मध्य MoU/सहमति पत्र सम्पादित हो जायेगा।

02– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–800–अन्य व्यय–07–एजूकेशन पोर्टल की विभिन्न मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 133 (P)/XXVII(3)/2013-14 दिनॉक 24.1.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

सॅ0 950 (i)/XXIV(1)/2013–22/2012 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
06. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
07. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
08. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 के तोमर)
उप सचिव।